

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015

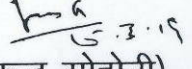
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक :- एफ. 3(ख) (के-410/88)(लिंक नं 4209)/ अलेसे-11/2775 दिनांक :- 15-03-2019

शुद्धि पत्र

निदेशालय के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.3(ख) (के-410/88) (लिंक नं. 4209)/ अलेसे-11/ 2569-74 दिनांक 18.02.2019 के द्वारा श्री किशन लाल पुरोहित, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर (राजस्थान) का नाम श्री किशन सिंह पुरोहित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उसमें आंशिक संशोधन करते हुए श्री किशन सिंह पुरोहित के स्थान पर श्री किशन सिंह राजपुरोहित पढ़ा जावे।

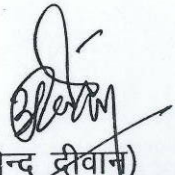
भविष्य में “किशन लाल पुरोहित” के स्थान पर “किशन सिंह राजपुरोहित” के नाम से जाना जावेगा।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ. 3(ख) (के-410/88)(लिंक नं.4209)/ अलेसे-11/ 2775 दिनांक :- 15-03-2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर (राजस्थान) के पत्र क्रमांक 152 दिनांक 20.02.2019 के क्रम में।
2. कोषाधिकारी, बीकानेर।
3. श्री किशन सिंह राजपुरोहित, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर (राजस्थान)।
4. निजी सहायक, निदेशक महोदय, कोष एवं लेखा।
5. उप निदेशक, ए.सी.पी. हाजा।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


(अरविन्द धानु)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)